न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2023, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. भजनलाल पुत्र कजोड़
2. महेन्द्र पुत्र कजोड
3. राजूलाल पुत्र कजोड
4. लक्खीराम पुत्र कजोड

समस्त जाति बैरवा निवासी जोध्या तहसील सिकराय जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. लहरीराम पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी जोध्या तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. किशोर्या पुत्र मेवा
3. धनराम पुत्र प्रभात्या
4. भूरी देवी पत्नि प्रभात्या
5. मोहन पुत्र प्रभात्या
6. रघुवीर प्रसाद पुत्र प्रभात्या
7. सोहनलाल पुत्र प्रभात्या

   समस्त जाति बैरवा निवासी जोध्या तहसील सिकराय जिला दौसा
8. यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा बहरावण्डा जरिये शाखा प्रबंधक
9. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सिकराय जिला दौसा
10. श्री राकेश कुमार मीना वर्तमान पीठासीन अधिकारी उप जिला कलेक्टर सिकराय जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण उनवानी प्रकरण लहरीराम बनाम भजनलाल आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नं0 110/2021 जो न्यायालय उप जिला कलेक्टर सिकराय में विचाराधीन है।

उपस्थिति : श्री जगजीवनराम अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री शिवचरण शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः— 26.9.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी सं0 1 ने एक प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 5 लगायत 12 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 251क का प्रस्तुत किया है। जो अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण को यह विश्वास हो गया है कि अप्रार्थी सं0 1 व पीठासीन अधिकारी में आपस में साज हो गई है तथा पीठासीन अधिकारी भी प्रकरण में अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में रूचि लेकर प्रकरण में नजदीक नजदीक तारीख पेशी देते हैं तथा प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने पर तुले हुए है। प्रार्थीगण को उप जिला कलक्टर से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर सिकराय से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या 06/2023

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रकरण में न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय के पीठासीन अधिकारी द्वारा नजदीक–नजदीक पेशी तारीख दी जा रही हैं जिसका कोई विशेष कारण व औचित्य नहीं है। अप्रार्थी सं01 ने उप जिला कलक्टर सिकराय से साज कर रखा है तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नं01 को पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर सिकराय के आवास व चैंबर में मिलते जुलते देखा है। पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर सिकराय द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अंकित तथ्यों का खण्डन नहीं किया जाकर मात्र स्वीकार अथवा अस्वीकार अंकित किया गया है। इसलिये प्रार्थीगण को यह विश्वास हो गया है कि प्रकरण का निस्तारण उप जिला कलक्टर सिकराय द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में किया जायेगा। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के यहां विचाराधीन प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में निस्तारण हेतु स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन प्रकरण 251 क का वर्ष 2021 में प्रस्तुत हुआ है। 251 क की कार्यवाही **Summary Proceeding** है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कौनसी आदेशिका में क्या गलत लिखा उसका उल्लेख प्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाने के आधार प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में किसी का आना जाना आरोप लगाने का आधार नहीं हो सकता है। प्रार्थीगण का उद्देश्य मात्र अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को लम्बित रखना एवं अप्रार्थी को हैरान परेशान किया जाना है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण **Heavy cost** लगाकर खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया कि न्यायालय पर सीधे सीधे आरोप नहीं लगाया जाता है, केवल तथ्य वर्णित किये जाते हैं। अप्रार्थीगण द्वारा भी प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है तथा उप जिला कलक्टर सिकराय द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया एवं उप जिला कलक्टर सिकराय द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। उप जिला कलक्टर सिकराय की टिप्पणी के अनुसार विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन होना तथा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई किया जाना व्यक्त किया गया है। उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन प्रकरण 251 क का वर्ष 2021 में प्रस्तुत हुआ है। 251 क की कार्यवाही **Summary Proceeding** है। 251 क के **Summary Proceeding** के प्रकरण में न्यायालय द्वारा शीघ्र सुनवाई कर तीन माह में प्रकरण का निस्तारण करना होता हैं। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजदीक तारीख दिया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में जो आक्षेप लगाये गये है उनके लिये कोई सबूत/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थीगण का उद्देश्य प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन होने से स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उप जिला कलक्टर सिकराय को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(राजकुमार कस्वा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.9.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजकुमार कस्वा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा